REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना- भारतीय परिप्रेक्ष्य

डॉ. प्रिया कुमारी
एम. ए. (समाजशास्त्र), पी-एच डी.

सार

यदि भारत को अगले कुछ दशकों में एक ज्ञान समाज के रूप में उभरना है, तो उसे अपना कार्य एक साथ करना होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स और आयामों पर सावधानी से काम करना जो ऐसा करेंगे। हमें लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत है और लोगों को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा है। शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पीछे तर्क और दर्शन पर चर्चा करने का एक मामूली प्रयास किया गया है। कागज वर्तमान परिदृश्य में जीवन कौशल शिक्षा, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। शिक्षा को विकसित किया जाना चाहिए ताकि भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन बन सके।

परिचय

वैश्वीकरण ने जीवन के हर क्षेत्र में गतिशीलता का एक अद्भुत तत्व लाया है, चाहे वह वस्तुओं और सेवाओं की पूंजी हो, पूंजी और श्रम की, विचारों और विचारधाराओं की, सीखने और विद्वत्ता की, समाचारों और विचारों की, कला और संस्कृति की और बेशक, अच्छी चीजों और बुरे का। मानव समाज को गुणवत्ता, उपयोगिता और मूल्य के उच्चतम मानकों की शिक्षा की आवश्यकता है जो सभी शिक्षार्थियों के दिमाग और दिल को आकार दे, खासकर पीढ़ी-अगले की। केवल ऐसी सशक्त मानव पूंजी आने वाले वर्षों में मानव जाति के जीवन में बदलाव लाएगी।

विकसित - विकासशील देश गैप

शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में, शिक्षा एक अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर परिवर्तन लाने का साधन है। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सुधार इसे बदलना है, इसे लोगों के जीवन, जरूरतों और आकांक्षाओं से संबंधित करने का प्रयास करना है और इस तरह यह राष्ट्रीय की प्राप्ति के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है। लक्ष्य। इस उद्देश्य के लिए, शिक्षा को विकसित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त हो, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आए और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की खेती हो।

यह विकसित और विकासशील दुनिया के बीच वास्तविक अंतर है। विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई यूरोप के राष्ट्रीय राजमार्गों या जर्मनी के ऑटोबान के कारण नहीं है। न ही यह उनके कारखानों या निर्यात के आंकड़ों या जीडीपी वृद्धि के पैमाने का परिणाम है। इस अंतर का मूल कारण विकसित और विकासशील दुनिया के बीच शिक्षा में व्यापक अराजकता है। इसे संबोधित करने की जरूरत है।

70 प्रतिशत से अधिक भारतीय 2025 में काम करने की उम्र के होंगे। जबकि युवा जनसांख्यिकी एक संपत्ति है और हमें उन्हें एक ठोस आधार देकर उनकी भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। इसके लिए सुलभ और सस्ती उच्च शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाना और व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना एक प्रमुख आवश्यकता है।

कुशल और कुशल जनशक्ति का विकास

सभी शिक्षा आयोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुशल और कुशल जनशक्ति के विकास के बारे में बात की। NPE - 1986 ने पिरामिड के निचले सिरे को सशक्त बनाने की बात की। यह प्रशिक्षण शिल्प, व्यवसाय, औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दक्षता के लिए इन कुशल प्रशिक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो किसी भी व्यवसाय के मूल्य में जोड़ देगा। ये बेरोजगारी की बड़ी समस्या को हल करने जा रहे हैं और यह हमारे देश की स्थिरता के लिए आवश्यक है। पूरे देश में कुशल कार्यबल विकसित करने में हमारे भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हाल की पहल बेरोजगारी की समस्या और विशाल मानव संसाधनों के उपयोग को खत्म करने के लिए उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।

विवेकानंद की शैक्षिक दृष्टि

स्वामी विवेकानंद, शंकर के बाद सबसे महान भारतीय, शिक्षा को मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में aपरिभाषित करते हैं। वह धर्म को मनुष्य में पहले से ही देवत्व की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। धर्म, उसके अनुसार शिक्षा की एक प्रक्रिया भी है। And अगर फुटबॉल और गीता के बीच कोई विकल्प है, तो मैं चाहूंगा कि बच्चे फुटबॉल खेलें, क्योंकि गीता सीखने के लिए पूरी जिंदगी है। 'फुटबॉल सिखाता है कि कैसे किक करना है और हमारे बच्चों को इसे सीखना चाहिए '। इसके साथ ही उन्होंने मूल्य-शिक्षा की बात की।

भारतीय शैक्षिक दर्शन

हमेशा एक शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खड़ा था। गांधी जी ने कहा था "मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारदीवारी और खिड़कियों को भरा जाए। मैं सभी देशों की सांस्कृतिक और शैक्षिक हवाएं चाहता हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह से अपने पैरों से उड़ने से इनकार करता हूं। शिक्षा शतरंज का खेल नहीं है जिसे रेफरी के बिना खेला जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीटी बजाए जाने वालों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि "शिक्षा केवल तभी पूरी होती है जब किसी के सिर, हाथ और दिल को ज्ञान, कौशल और प्रतिबद्धता के माध्यम से समृद्ध किया जाता है।"

सतत विकास के लिए शिक्षा

भारत में एक उभरती दार्शनिक सराहना वैदिक शिक्षा के साथसाथ इस धरती की कई महान प्राचीन - बढ़ावा दिया। हालाँकि सभ्यताओं के ज्ञान के संचित संस्करणों ने जीव विज्ञान के दर्शन को, ईसाई विचारों की भावना के साथ आधुनिक पश्चिमी दर्शन के शीर्ष पर पहुंचने के साथ, बायोसट्रिज्म का दर्शन धीरेधीरे नृविज्ञान - के दर्शन में बदल गया। यह रेने डेसकार्टेस थे, जिन्होंने मानवता के दर्शन को सभी के सम्मिश्रण से बना दिया था, जो कि मानवीय मानसिकता के व्यापक दृष्टिकोण थे, जिसने सभी को यह विश्वास दिलाया था कि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्ट रचना है, इसलिए उन्हें अपने स्वयं के लाभ के लिए प्रकृति का दोहन करने का अधिकार है। हालांकि रूसो, टैगोर और महात्मा गांधी द्वारा योगदान दी गई शिक्षा के दर्शन की कृतियों ने जीवन को टिकाऊ विचारों और आत्मा के साथ चित्रित किया है।

सतत विकास के लिए शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

- जलवायु परिवर्तन,
- आपदा में कमी,
- जैव विविधता,
- गरीबी घटाना,
- सतत खपत, आदि।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

पिछले छह दशकों के दौरान यह महसूस किया गया कि संस्थागत व्यवस्था के लचीलेपन के कारण, संविधान के अपेक्षित लक्ष्य दूर का सपना बनकर रह गए। इस संबंध में, संसद ने प्रसिद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम)RTE) पारित किया, जिसे 3 सितंबर, 2009 को बच्चों के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं- :

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं -

- 6 से 14 आयु वर्ग में भारत के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
- प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए किसी बच्चे को वापस नहीं रखा जाएगा, निष्कासित या अपेक्षित नहीं किया जाएगा।
- प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने वाले बच्चे को एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। (आठवीं कक्षा तक)
- एक निश्चित छात्रक्षक अनुपात के लिए कॉल।शि-
- जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।
- सभी निजी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को अनिवार्य करता है।
- स्कूल के शिक्षकों को पांच साल के भीतर पर्याप्त पेशेवर डिग्री की आवश्यकता होगी अन्यथा नौकरी खो जाएगी।

• तीन साल में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए, अन्यथा मान्यता रद्द कर दी गई।
• वित्तीय बोझ राज्य और केंद्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा।
• किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा। • स्क्रीनिंग प्रक्रिया दंड के साथ दंडनीय होगी।
• स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बच्चों के अभिभावकों पर अभिभावकों से मिलकर एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करना।
• किसी भी गैरशैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई शिक्षक तैनात नहीं किया जाएगा।-
• कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन में खुद को या खुद को संलग्न नहीं करेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) भारत में वें शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इस अधिनियम के तहत सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना अनिवार्य है, जो भारतीय क्षेत्र में रहते हैं। अब शिक्षा हर भारतीय का मौलिक अधिकार है।

शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

शिक्षा वह कुंजी है जो न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के लिए भी दरवाजे खोलती है, मानवता का विकास करती है और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। और ऐसी पहल की आवश्यकता ग्रामीण स्तर पर अधिक है जहाँ स्थिति दयनीय है। शिक्षा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लड़के और लड़कियां दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं और आपसी सम्मान और समझ के साथ बड़े होते हैं, तो महिलाओं को परिवार और समाज में अधिक उचित स्थान मिलने की संभावना होती है। लेकिन ग्रामीण लोगों की सामान्य धारणा यह है कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं और इस धारणा और रवैये के साथ लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। जन 2012 के अनुसार जनगणना भारत के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 79.92% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 58.75% है। यदि हम ग्रामीण महिला के शिक्षा स्तर को द्विभाजित करते हैं तो एनएसएसओ जून 2010 के अनुसार, 46.7% साक्षर नहीं हैं, 31.8% प्राथमिक स्तर तक साक्षर हैं, 11.1% मध्यम स्तर तक और केवल 10.3% माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं।

ग्रामीण भारत को शिक्षित करना शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई)2011-12 के अनुसार, देश में विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 14,12,178 स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से 12,14,282 (85.99%) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों का श्रेणी वार वितरण प्राथमिक)62.55%), उच्च प्राथमिक)17.74%) के साथ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक माध्यमिक उच्चतर /)2.48%), उच्च प्राथमिक)11.09%), और ऊपरी के साथ प्राथमिक है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक /)5.82%) के साथ प्राथमिक। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूलों) खंडों /2011-12) के अनुपात में अंतर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है शःक्रम -2.26 और 1.42। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अधिकांश स्कूलों में अपने शिक्षण कार्य के लिए पर्याप्त कक्षाएं नहीं हैं। औसतन केवल प्राथमिक के लिए 3.10 क्लासरूम हैं, अपर प्राइमरी के लिए केवल 6.40 और दोनों वर्गों के लिए 3.7 हैं। शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित आंकड़े क्रमशः 5.10, 5.10 और 8.60 हैं। सभी श्रेणियों के स्कूलों में एकल कमरे के मामले ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं, और इनमें से केवल 10% कमरे अच्छी स्थिति)DISE 2011-12) में थे।

जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता

जीवन कौशल शिक्षा छात्रों को ज्ञान, व्यवहार और मूल्यों का अनुवाद करने में सक्षम बनाती है। यह कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देता है जो बच्चों और युवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करता है, जिससे वे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम हो जाते हैं। जीवन कौशल में सहयोग, बातचीत, संचार शामिल हो सकते हैं। निर्णय काम की - दुनिया के लिए बनाने, समस्या को सुलझाने, भावनाओं के साथ मुकाबला करने, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच, मुखरता, और prparati0fl। प्रौद्योगिकी नया समाधान है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने दुनिया को चौपट कर दिया है (आईटी), किसी के लिए भी इससे अप्रभावित रहना मुश्किल है, चाहे वह एक विकसित देश हो या विकासशील दुनिया, एक साक्षर या अनपढ़ व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति या एक वरिष्ठ नागरिक, ग्रामीण या शहरी निवासी। एक बार इसके संपर्क में आने के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान और अपेक्षाएं उपयोगकर्ता के लिए बढ़ती रहती हैं।

प्रौद्योगिकी सभी समस्याओं का नया समाधान है। यह केवल हमारे जीवन को निस्संदेह आसान बना देगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा म (आईसीटी)ें सुधार के लिए संभावित उपयोगी उपकरण है। आज, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन से लैस कक्षाओं से परे है। शैक्षिक संस्थानों में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की अत्याधुनिक तकनीक हमें 'फ़्रंटियर्स के बिना सीखने' के सिद्धांत के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर विचार करने की अनुमति देती है। आज मौजूद सूचना और संचार प्रौद्योगिकियाँ 21 वीं सदी में दूरस्थ शिक्षा की वैश्विक प्रणाली बनाने के लिए एक यथार्थवादी आधार प्रदान करती हैं। । भौतिक दूरी के बावजूद आईटी वातावरण अब शिक्षक और छात्र के बीच सीधे संचार, पारंपरिक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता का अनुकरण कर सकता है, और इसलिए इस इंटरफ़ेस का लाभ प्रदान करता है

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के समन्वय और निगरानी के लिए भारत (एनकेएन)सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ। आर। चिदंबरम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का आर्किटेक्चर स्केलेबल होगा और नेटवर्क में एक अल्ट्रा हाई स्पीड कोर-)10 GBPS) और उससे ऊपर की मल्टीप्ल्स होगी। कोर को उचित गति (से वितरण परत के साथ पूरक होना चाहिए। भाग लेने वाले संस्थान 1 मील प्रति घंटे की गति से एनकेएन से या अंतिम मील कनेक्टिविटी बैंडविड्थ के माध्यम से वितरण परत से जुड सकते हैं।

एन के एन राष्ट्रव्यापी अल्ट्रा हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क राजमार्ग प्रदान करेग-डेटा /ा। स्वतंत्र और बंद उपयोगकर्ता समूह बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के साथ देश के विभिन्न अन्य नेटवर्क इस अल्ट्रा हाई स्पीड बैकबोन का लाभ उठा सकते हैं। एन के एन में लगभग 25 कोर पॉइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस)PoPs) और 600 सेकंडरी PoP होंगे। यह लगभग 1500 संस्थानों को जोड़ेगा। प्रारंभिक चरण में, एक मूल बैकबोन जिसमें 15 पॉइंट्स ऑफ़ प्रेसेंस)PoP) शामिल हैं, 2.5 Gbps क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। उच्च शिक्षण और उन्नत अनुसंधान के लगभग 40 संस्थान पहले से ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और 6 वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए हैं।

निष्कर्ष

शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली समस्याओं की प्रकृति इतनी विविधतापूर्ण और अक्सर गहरी है कि समाधान किसी एक कारक के परिवर्तन में झूठ नहीं हो सकता है, यह सिर्फ पैसे की कमी या प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के बारे में नहीं है; ये सभी देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हुए समस्याओं में योगदान करते हैं। हालांकि, समस्याओं के पूरे सेट को देखने और इस मुद्दे से निपटने के लिए समग्र रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके लिए नीति, रणनीति, तकनीकी सहायता और निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक निरंतर और मजबूत केंद्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी, जो सरकार के भीतर विकेन्द्रीकरण को बढ़ाता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करता है, और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं और लक्ष्य के बीच बेहतर जवाबदेही संबंधों को बेहतर बनाता है।

REFERENCES:

1. Boruah, mouchumi and Gogai, Jyotirmoy 2012), Right to Education : The Primary Necessity for Women Empowerment, University News, 50 (40), Oct 1-7, Pp. 16-18.
2. Jamkar, Arun and Bansal, Payal K. (2011), Role of Information Technology in Medical Education, University News, 49 (50) Dec 12-18, Pp. 157-158.
3. Kalia, H.L (2005), Women, Work and Family, Rawat Publication Jaipur.
4. Nayak, B.K (2001), Foundation of Education, Kitab Mahal, Cuttak.
5. Rosenholtz, S. (1989), Teacher's Workplace : The social orgaisations of schools, Longman, Newyork.
6. Sharma, R. A. (2005), Development of Education System in India, R. Lal Book Depot., Meerut.
7. Sharma, V.(2008), Now, Free Education Right of Every Child, The Tribune, Dec 16, p. 1.
8. The Times of India (2012), Why our Education System is Failing, Editorial of 28th June, Ahmedabad.
9. UNESCO (2008), Education for All by 2015 : Will We Make It ?, EFA Global Monitoring Report.